न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4340 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 70/अपील/2016-17.

---

1. जगदीश पिता स्व. मौजीलाल पाल
   निवासी- चन्द्रशेखर वार्ड सदर तह एवं जिला बैतूल
2. इन्द्रपाल पिता स्व. मौजीलाल पाल
   निवासी आनन्दनगर सेन्ट्रल वेयर हाउस के पास, खण्डवा
3. अनिल पिता स्व. मौजीलाल पाल
   निवासी जामठी तह एवं जिला बैतूल
4. कमला पति हरिप्रसाद पाल
   निवासी एन.सी.डी.सी. पाथाखेड़ा, आजादनगर पाथाखेड़ा, तह एवं जिला बैतूल
5. विमला पति मेहरवार
   निवासी महावली नगर, कोलार रोड, जिला भोपाल
6. निर्मला पति मदन
   निवासी देशबन्धु वार्ड, टिकारी, तह. व जिला बैतूल ....आवेदकगण

विरूद्ध

विजय पिता स्व. मौजीलाल पाल
निवासी जामठी, तह. एवं जिला बैतूल ....अनावेदक

श्री राहुल नामदेव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बैतूल के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जामठी स्थित खसरा नं. 307/5 रकबा 1.037 हैक्टेयर में से 0.991 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 307/6 रकबा 1.760 हैक्टेयर भूमि अनावेदक की मां सरस्वतीबाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत अनावेदक विजय के पक्ष में दिनांक 22.03.2012 को निष्पादित की है। उक्त वसीयतनामे के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र.196/अ-6/2012-13 दर्ज कर दिनांक 02.08.2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर अनावेदक का नाम दर्ज किया जाकर शेष भूमि पर मृतक के सभी वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12.09.2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण पेशी दिनांक 28.03.2018 को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों एवं निगरानी मेमो के आधार पर किया जा रहा है। आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमो में उठाये गये आधारों में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उद्घोषणा की तामीली रिकॉर्ड में संलग्न नहीं थी तो समुचित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में वसीयतकर्ता के अन्य

वारिसानों को ना तो पक्षकार बनाया और ना ही हितबद्ध होने से सूचना पत्र ही व्यक्तिगत रूप से तामील किया। तर्क में यह भी कहा गया कि सूचना के तामीली के अभाव में आवेदकगण अपनी आपत्ति पेश करने एवं वसीयत के गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने से वंचित रह गये थे। इससे नैसर्गिक न्याय की अवहेलना हुई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्यायिक दृष्टांत रेवेन्यू निर्णय 2017 वाल्युम 1 पृष्ठ 311 को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जो कि मेन्डेटरी प्रावधानों की अवहेलना की जाना प्रदर्शित होता है। तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयत सिद्ध ना होने पर भी उस पर आदेश पारित करना अनुचित था, क्योंकि वसीयतकर्ता बहुत अधिक वृद्ध लगभग 80-85 साल की महिला थी तथा अंगूठा छाप थी एवं वसीयत पढ़कर तथा सुनकर समझकर वसीयत निष्पादित करने में असमर्थ थी तथा गवाहों ने भी वसीयतनामें में इस बात को नहीं लिखवाया कि वसीयतकर्ता के कहने पर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि सरस्वतीबाई के पास संपत्ति जगदीश से खरीदने के लिए कोई पैसा भी नहीं था, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र में अन्य पुत्रों ने पैसा लगाया था एवं इस बात का इन्द्राज विक्रय पत्र में भी किया गया था। ऐसी स्थिति में सरस्वतीबाई की स्व अर्जित संपत्ति नहीं मानी जा सकती थी। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण में हक का गंभीर प्रश्न विवादित किया गया था, जिस कारण राजस्व न्यायालय को प्रकरण का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करना चाहिए था कि वह सिविल न्यायालय से हक की उद्घोषणा प्राप्त करे। इस तरह आवेदकगण को सिविल कोर्ट जाने के लिए निर्देशित करना अनुचित था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण उक्त संपत्ति पर पूर्व से ही काबिल चले आ रहे हैं। इस भूमि पर अनिल खेती करता है एवं मकान भी स्वयं का बनाया है। तर्कों के समर्थन में 2017 (1) RN 311 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध तीन वर्ष के अंतराल के बाद अपील मनगढ़ंत व झूठे आधारों पर प्रस्तुत की, जिसमें आवेदकगण द्वारा अपील में उक्त संपत्ति के वंशवृक्ष में पैतृक संपत्ति बताई थी, जो पूर्णतः असत्य तथ्य थे, क्योंकि मौजीलाल की संपत्ति कभी नहीं थी बल्कि संपत्ति सरस्वती बेवा मौजीलाल को उसकी माताजी जगोती

(5)

बाई से वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत् उभयपक्षों की सुनवाई कर अपील समयसीमा में प्रस्तुत न होने तथा तथा विलम्ब से प्रस्तुत होने का उचित कारण न होने से अपील निरस्त की गई, जो पूर्णतः विधि सम्मत है।

(2) आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी में यह उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार द्वारा इश्तहार जारी नहीं किया गया। उक्त तथ्य कतई सही नहीं है, बल्कि तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत् इश्तहार जारी करने के उपरांत वसीयत के साक्षियों के साक्ष्य नामांतरण आदेश पारित किया गया था, जो पूर्णतः विधि सम्मत है, क्योंकि वसीयत रजिस्टर्ड थी तथा रजिस्टर्ड वसीयत को सिद्ध करने के लिए वसीयत के अनुप्रमाणक साक्ष्यों के साक्ष्य लिया जाना तथा उनके द्वारा वसीयत को सिद्ध किया जाना नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतया रिकॉर्ड के आधार पर वैधानिक है अर्थात् निगरानी निरस्ती योग्य है।

(3) आवेदकगणों का यह कथन कि- सम्पत्ति पर उनका हक एवं कब्जा विद्यमान है उक्त तथ्य वास्तविक रिकॉर्ड एवं स्थिति के पूर्णतया विपरीत है तथा कृषि कार्य विजय अर्थात् अनावेदक कर रहा था और आज भी उक्त सम्पत्ति पर अनावेदक काबिज काश्त होकर कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों के कब्जे का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदकगणों का यह कथन कि- सरस्वतीबाई की अज्ञानता में अंगूठा लगाकर वसीयत करा ली गई है उक्त कथन भी पूर्णतः असत्य एवं बनावटी है, क्योंकि वसीयत रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड वसीयत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के समक्ष अंगूठा या हस्ताक्षर कराकर प्रमाणित की जाती है। ऐसी दशा में उक्त वसीयत रजिस्ट्रार के समक्ष हुई है, जो कपटपूर्वक कराया जाना पूर्णतः असत्य व निराधार कथन है। वसीयतकर्ता द्वारा अपनी मर्जी से तथा अपनी पूर्णतः स्वस्थता एवं सहमति के आधार पर अनावेदक के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है, जो पूर्णतः सत्य व वैधानिक है, जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यथा उचित आदेश पारित किये गये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

(5) तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के विधिवत् परीक्षण उपरांत दिनांक 02.08.2013 को अनावेदक के पक्ष में नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि वसीयत पंजीकृत है और पंजीकृत वसीयत को यदि आवेदकगणों को चुनौती देने की बात है तो उसके लिए आवेदकगण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है, परंतु अनावेदक द्वारा पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं अधिकारविहीन रूप से निगरानी प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो अधिकारिता के अभाव में प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है।

(6) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पूर्णत: असत्य एवं कपोल कल्पिक तथा निराधार होने के कारण तथा मात्र उपरोक्त संपत्ति को षड़यंत्रपूर्वक हड़पने की बदनीयति से प्रस्तुत की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति, रिकॉर्ड तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथा उचित आदेश पारित किये गये हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

अत: अनावेदक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में वसीयत के गवाहों की गवाही न होकर केवल उनके शपथ पत्र पर प्रमाणित मानी गई है । बाकी वारिसान को तहसील न्यायालय में बुलाया नहीं गया है जिस कारण उन्हें वसीयत के गवाहों का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला है । जिस दिनांक 22-3-12 को वसीयत पंजीकृत हुई थी उसी दिनांक को 0.032 हेक्टेयर भूमि (जो वसीयत में शामिल नहीं) का विक्रय पत्र भी पंजीकृत हुआ है, अत: प्रथमदृष्टया वसीयत की प्रक्रिया सन्देहास्पद है । अनुविभागीय अधिकारी ने केवल समय बाह्य मानकर अपील निरस्त की है, जबकि आवेदकों को सुना ही नहीं गया था । अपर आयुक्त द्वारा भी इन विसंगितयों को नहीं देखा गया है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुन: सभी तथ्यों का परीक्षण कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-9-2017, अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक

30-11-2016 तथा तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-8-2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर